प्रार्थना पत्र संख्या 106/2021
जीसीएमएस नम्बर 2021/532
उनवानी धर्मपाल बनाम सरकार
निर्णय दिनांक 31-03-2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- **106/2021**

धर्मपाल पुत्र श्री शिवलाल जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित :-

1. श्री बद्रीप्रसाद सैनी	अभिभाषक	प्रार्थी
2. श्री विवेक कटारिया	तहसीलदार खेतड़ी	अप्रार्थी

दिनांक :- 31-03-2022

-: निर्णय :-

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 161, 162, 1166/163 रकबा 0.55 हेक्टेयर से नया खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.55 हेक्टेयर बने है तथा उसके बाद ग्राम मेहाड़ा जाटूवास से नया राजस्व ग्राम मोड़ी बनने पर उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 1075 से हाल खसरा नम्बर 942 रकबा 0.55 हेक्टेयर बने है। उक्त भूमि प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान की खातेदारी भूमि है जो जमाबन्दी संवत 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 297 में प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। लेकिन उक्त भूमि बाहंमी बंटवारा में प्रार्थी के हिस्से में आई हुई है। इसमें अन्य सह खातेदारान का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा मिसल हैकियत संवत 1999 मौजा मेहाड़ा जाटूवास में गत खसरा नम्बर 162 रकबा 10 बिस्वा पुख्ता तथा खसरा नम्बर 1166/163 रकबा 9 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व [illegible] कित्ता 3 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा है जिसका नया (वर्तमान) खसरा नम्बर 942 बना है जिसका रकबा 0.55 हेक्टेयर है। उक्त तीनों के खसरा नम्बरान मिला कर जो पैमाईश विभाग ने गलती से नक्शा गलत बना दिया। इस नये नक्शे में 1166/163 पुराना खसरा नम्बर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

9 बिस्वा भूमि को शामिल नहीं किया तथा इस नक्शा ट्रेस में सरकारी भूमि हाल खसरा नम्बर 943, 937 को शामिल कर दिया जो गलत है। प्रार्थी की भूमि का गत नक्शा किश्तवार सन् 1943-44 संवत 1999-2000 सही बना हुआ है लेकिन हाल नक्शा किश्तवार सन् 1979-80 में प्रार्थी की भूमि का नक्शा गलत बना दिया गया। गत नक्शा किश्तवार व हाल नक्शा किश्तवार को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखने से साफ जाहिर होता है कि प्रार्थी कि भूमि हाल खसरा नम्बर 942 का हाल नक्शा ट्रेस 1979-80 गत नक्शा ट्रेस सन् 1943-44 संवत 1999-2000 के अनुसार नहीं बनाया गया है। हाल नक्शा ट्रेस सन् 1979-80 गत नक्शा ट्रेस सन् 1943-44 संवत 1999-2000 के अनुसार नहीं बनने से एवं विवादित खसरा नम्बर राजस्व अधिकारियों की गफलत से कटानी रास्ता पूर्ववत नक्शा ट्रेस में न होते हुए भी दर्शाया गया है जिससे प्रार्थी की भारी हकतलफी है। इसलिए प्रार्थी हाल नक्शा ट्रेस सन् 1979-80 को गत नक्शा ट्रेस सन् 1943-44 संवत 1999-2000 के अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा विवादित खसरा नम्बर में राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्शाये जाने के संबंध में आज तक किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और न ही इस प्रकार का किसी न्यायालय का आदेश /निर्णय व डिक्री है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 942 रकबा 0.55 हेक्टेयर का हाल नक्शा ट्रेस सन् 1979-80 को गत नक्शा ट्रेस सन् 1943-44 संवत 1999-2000 के नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त करने की कृपा करें तथा मिसल हैकियत संवत 1999 मौजा मेहाड़ा जाटूवास में गत खसरा नम्बर 162 रकबा 10 बिस्वा पुख्ता तथा खसरा नम्बर 1166/163 रकबा 9 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा है जिसका नया (वर्तमान) खसरा नम्बर 942 बना है जिसका रकबा 0.55 हेक्टेयर है। उक्त तीनों के खसरा नम्बरान मिलाकर जो पैमाईश विभाग ने गलती से नक्शा गलत बना दिया। इस नये नक्शे में 1166/163 पुराना खसरा नम्बर की 9 बिस्वा भूमि को शामिल किया जावे तथा इस नक्शा ट्रेस में सरकारी भूमि हाल खसरा नम्बर 943, 937 हो हटाया जावे जिसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी से प्रकरण में वर्णित तथ्यों के संबंध में जांच रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार खेतड़ी ने अपने पत्रांक राजस्व/2022/1965 दिनांक 30.03.2022 से इस आशय की जांच रिपोर्ट पेश की है कि राजस्व ग्राम मेहाड़ा जाटूवास के हाल खसरा नम्बर 942 रक[illegible] अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मि[illegible]फल 2046-49 अनुसार हाल खसरा नम्बर 942 गत खसरा [illegible] मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्धक विभाग अनुसार खसरा नम्बर 1075 [illegible] 161, 162 तथा 1166/163 मीन से बना है। जमाबन्दी 1995 एवं 1999 [illegible]सार गत खसरा नम्बर 161, 162 एवं 1166/163 में वादी एवं अन्य काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गत नक्शा शीट सन्

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

1943–44 एवं वर्तमान नक्शा शीट सन् 1979–80 का मिलान (सुपरइम्पोज) करने पर वादी खातेदार के भूमि खसरा नम्बर 942 की सीमाओं में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है।

(अ) नक्शा सन् 1979–80 अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 942 में गत खसरा नम्बर 163 (राजकीय) का दक्षिणी सीमा के सहारे का आंशिक भाग सम्मि. लित कर रखा है। जबकि मिलान क्षेत्रफल 1943–44 अनुसार खसरा नम्बर 942 गत खसरा नम्बर 1075 से बना है तथा खसरा नम्बर 1075 गत खसरा नम्बर 161, 162 तथा 1166/163 मीन से माना है।

(ब) नक्शा सन् 1979–80 अनुसार वादी खातेदार के भूमि खसरा नम्बर 942 से सटे हुए राजकीय खसरा नम्बर 937 गत खसरा नम्बर 1166/163 का पश्चिमी आंशिक भाग सम्मिलित कर रखा है। जबकि मिलान क्षेत्रफल 1943–44 अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 937 गत खसरा नम्बर 1070 से बना है तथा मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त विभाग अनुसार खसरा नम्बर 1070 गत खसरा नम्बर 1631 से बना है।

गत नक्शा शीट 1943–44 एवं वर्तमान नक्शा शीट सन् 1979–80 का मिलान (सुपरइम्पोज) करने पर वर्तमान खसरा नम्बर 942 की सीमाओं में वादी खातेदार की कब्जा काश्त स्थिति अनुसार परिवर्तन होता है तथा उक्त खसरे से सटे हुए राजकीय भूमि खसरा नम्बर 937 के रकबे पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता है। वाद वादी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वर्तमान खसरा नम्बर 942 की सीमाओं को गत नक्शा शीट 1943–44 अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी ने साक्ष्य अभिलेख में नकल नक्शा किश्तवार मौजा मेहाड़ा जाटूवास तहसील बबाई ठिकाना खेतड़ी सन् 1943–44 संवत 1999–2000, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2046–2049, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम मेहाड़ा जाटूवास भू प्रबन्ध विभाग, नकल नक्शा किश्तवार ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी सन् 1979–80 पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास द्वारा प्रमाणित दिनांक 25.08.2021, नकल नक्शा किश्तवार मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी सन् 1979–80 जिला कार्यालय से जारी दिनांक 06.08.2021, नकल जमाबन्दी संवत 2074–77 हाल खाता संख्या 297 ग्राम मेहाड़ा जाटूवास पेश किये है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। तहसीलदार खेतड़ी को उसकी जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2022/1965 दिनांक 30.03.2022 पर सुना गया। तहसीलदार खेतड़ी ने पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03.2022 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग मानते हुये उनके द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसार [illegible] ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित हाल भूमि खसरा नम्बर 942 की सीमाओं को गत नक्शा शीट सन् 1943–44 ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील बबाई संवत 1999–2000 के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट सन् 1979–80 मौजा मेहाड़ा जाटूवास को दुरूस्त करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रार्थना पत्र संख्या 106/2021
जीसीएमएस नम्बर 2021/532
उनवानी धर्मपाल बनाम सरकार
निर्णय दिनांक 31–03–2022

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1965 दिनांक 30.03.2022, पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03.2022 व अधिवक्ता प्रार्थी की दलीलों से प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र संदेह से परे साबित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्वीकार किये जाने योग्य है। लिहाजा

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित हाल भूमि खसरा नम्बर 942 रकबा 0.55 हेक्टेयर की सीमाओं को गत नक्शा शीट सन् 1943–44 ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील बबाई संवत 1999–2000 (खसरा नम्बर 161, 162, 1166/163) के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट सन् 1979–80 मौजा मेहाड़ा जाटूवास में शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का भूमिधारी तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03. 2022 (प्रदर्श–"अ"–1,"अ"–2) इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:38:00 IST
Reason: SelfAttested